अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0..से..तक

जिला.., सं0..., सन् १९...........................

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आर्बिट्रेशन वाद संख्याः-46/2020

उपेन्द्र साह..................आवेदनकर्त्ता

-बनाम-

राज्य..........................रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आर्बिट्रेशन वाद उपेन्द्र साह, पिता-स्व0 सियाराम साह, सा0-पड़री, अंचल-कहरा, थाना-बनगाँव, जिला-सहरसा के द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-107 (महेशखुट- सोनवर्षा राज- सहरसा- मधेपुरा- पूर्णियाँ खण्ड) के किलोमीटर 30.150 से किलोमीटर 83.750 तक) हेतु अधिग्रहित उनकी निम्न वर्णित भूमि का किस्म "कृषि" निर्धारित करते हुए वाद सं0-12/2014-15, पंचाट संख्या-20 के तहत सूचित मुआवजा के विरुद्ध दायर किया गया है :-

वादगत भूमि का विवरण निम्न है :-

मौजा/थाना नं0	खाता सं0(पु0)	खेसरा सं0(पु0)	किस्म	दर प्रति एकड़	रकवा (ए0)	मुआवजा	अभ्युक्ति
पड़री/136	743	687	कृषि	8,17,654	0.0101	43,808	

अपीलार्थी की ओर से दाखिल वादपत्र में उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया है कि वादगत भूमि आवेदक को वर्ष 1996 ई0 में केवाला से प्राप्त है, जिसपर खरीदगी की तिथि से उन्हें दखल कब्जा प्राप्त है तथा उनके द्वारा अद्यतन मालगुजारी रसीद हासिल है। आवेदक के अनुसार उक्त भूमि उनके द्वारा आवास व व्यवसाय हेतु खरीदा गया तथा खरीदगी के उपरान्त उसपर तीन कोठरी पक्का छतदार मकान बनाकर भविष्य में व्यवसाय के उद्देश्य से अपने परिवार वो बाल-बच्चों के साथ उसमें रहते आ रहे हैं। उक्त भूमि को एन0एच0 के तहत अर्जित कर उसका पंचाट तैयार कर आवेदक को मुआवजा पाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया किन्तु नोटिस में

उनकी आवासीय व व्यवसायिक भूमि का किस्म "कृषि" निर्धारण करते हुए निम्नतम मुआवजा निर्धारित कर दिया गया है। जिससे क्षुब्ध होकर कई बार उनके द्वारा सक्षम प्राधिकार-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को स्थल जाँचकर जमीन के किस्म वो मुआवजा का सही आकलन हेतु आवेदन दिया गया, किन्तु उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। आवेदक का कहना है कि वे गरीब भूमिहीन व्यक्ति हैं, जिन्हें यह क्षमता नहीं है कि अपनी आवासीय व व्यवसायिक भूमि के बदले कृषि भूमि का मुआवजा पाकर उस अल्प राशि से कहीं अन्य आवास व व्यवसाय हेतु जमीन खरीदकर उसमें घर बनाकर व्यवसाय कर सकें। आवेदक का कहना है कि उनकी अधिग्रहित की गई भूमि का पंचाट मनमाने तरीके से तैयार किया गया है, जो इस तथ्य से भी प्रमाणित होता है कि एक ही खेसरा में बगल के लोगों को प्राप्त नोटिस में उनकी जमीन का किस्म आवासीय अंकित कर मुआवजा का निर्धारण किया गया है। तदालोक में आवेदक के द्वारा स्थल जाँच कर भूमि के किस्म के अनुरूप मुआवजा भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि NH Act-1956 की धारा 3A के तहत दिनांक 06.05.2015 को प्रकाशित अधिसूचना में वादगत खेसरा-687 का किस्म / प्रकृति "आवासीय" दर्ज है तथा धारा-3D के तहत दिनांक 02.05.2016 में भी किस्म / प्रकृति "आवासीय" दर्ज है किन्तु समाहर्त्ता, सहरसा के पत्रांक 414-2/भू0 अ0 दिनांक 17.08.2018 द्वारा गठित उचित प्रतिकर, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति द्वारा मौजा-पइरी/136 अन्तर्गत भूमि के स्थल निरीक्षण में खेसरा सं0-687 का रकवा-0.0535 एकड़ भूमि आवासीय एवं रकवा-0.0231 एकड़ भूमि "कृषि" प्रतिवेदित किये जाने के आलोक में विहित रीति से मूल्य की गणना कर NH Act-1956 की धारा 3G के तहत मौजा-पइरी/136 के अंकित खेसरों/भूमि का संशोधित प्राक्कलन दिनांक 02.11.2018 को NHAI से स्वीकृति हेतु भेजा गया तथा NHAI से स्वीकृत्योपरान्त पंचाट तैयार कर रैयतों को मुआवजा प्राप्त करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। आवेदक के द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन के आलोक में छः सदस्यीय समिति द्वारा वादगत भूमि का किस्म / प्रकृति "कृषि" दर्ज करते हुए प्रतिवेदित किया गया। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में किए गए दावा के समर्थन में वर्णित भूमि के सम्परिवर्तन (Change in land use) से

संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है। तदालोक में उनके द्वारा किस्म परिवर्तन (कृषि से आवासीय वो व्यवसायिक) एवं तदनुसार मुआवजा भुगतान से संबंधित आवेदक द्वारा दायर वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

राष्ट्रीय उच्च पथ की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल जबाव में बताया गया है कि प्रश्नगत वाद में आवेदक द्वारा NHAI को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादगत भूमि की किस्म / प्रकृति धारा-3A गजट अधिसूचना में आवासीय प्रकाशित किया गया। धारा-3A प्रकाशन के उपरान्त आवेदक द्वारा आपत्ति आवेदन ससमय दाखिल नहीं किया। तदोपरान्त प्रकाशित अधिसूचना धारा-धारा-3D में भी भूमि का किस्म आवासीय प्रकाशित किया गया, किन्तु छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल जाँच में खेसरा सं0-687 को आंशिक रूप से आवासीय तथा आंशिक रूप से "कृषि" के प्रकृति का पाये जाने पर आवेदक के वादगत रकवा का किस्म "कृषि" प्रतिवेदित किया गया। तदालोक में बाजार मूल्य के आधार पर अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर की नियमानुसार गणना कर मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उनका कहना है कि आवेदक द्वारा अपने अधिग्रहित भूमि का किस्म आवासीय / व्यवसायिक होने के संबंध में न तो छः सदस्यीय समिति के समक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य रखा गया और न ही इस न्यायालय में। तदालोक में आवेदक के द्वारा काल्पनिक रूप से किये गये किंस्म परिवर्तन के दावा को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

सभी संबंधित पक्ष को सुनने, अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट है कि **RFCTLARR Act-2013** की धारा-23 के आलोक में जिला स्तरीय छः सदस्यीय समिति द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में मौजा-पइरी/136 के अर्जनाधीन वादगत खेसरा में आवेदक के दखल की भूमि का किस्म "कृषि" दर्ज है। तदनुसार **RFCTLARR Act-2013** की धारा-26(i)(b) में वर्णित प्रावधान के आलोक में विहित रीति से दर निर्धारण की कार्रवाई कर मुआवजा भुगतान हेतु नोटिस निर्गत किया गया। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में किए गए दावा के समर्थन में वर्णित भूमि के सम्परिवर्तन (Change in Land Use) से सं. बंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कोई प्रमाण-पत्र अथवा अन्य साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में

इस मामले में समाहर्त्ता, सहरसा की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति द्वारा स्थल जाँचोपरान्त वादगत खेसरा को **"कृषि" श्रेणी** के आधार पर निर्धारित प्रतिकर को पुनरीक्षित करने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। इसी के साथ आवेदक के दावा को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 38 /विधि सहरसा, दिनांक 05-1-2024

प्रतिलिपिः- **समाहर्त्ता** / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा **आर्बिट्रेशन** वाद सं0-46/2020 में दिनांक-04.01.2024 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपिः- परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, बेगूसराय द्वारा अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपिः- उपेन्द्र साह, पिता-स्व0 सियाराम साह, सा0-पइरी, अंचल-कहरा, थाना-बनगाँव, जिला-सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

5/1/24

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।